लाप्र क्र-3085

[28/7/2017]

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना म0 प्र0

प्रश्न सं. [क. 3085]

प्रकरण कमांक 204 अपील 2014.15

श्रीमती मीतू श्रीवास्तव पत्नि श्री अंकुर श्रीवास्तव अध्यापक शा. हाई स्कूल हरिपुर वि.ख. गुना जिला गुना म. प्र.
------------------------------अपीलार्थिया

विरूद्व

जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, गुना म0 प्र0
------------------------------प्रतिअपीलार्थी

(पारित आदेश दिनांक 29.10.15)

अपीलांट श्रीमती मीतू श्रीवास्तव पत्नि श्री अंकुर श्रीवास्तव अध्यापक शा. हाई स्कूल हरिपुर वि.ख. गुना जिला गुना म. प्र. द्वारा अपने अभिभाषक श्री अजयकुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी गुना के आदेश कमांक / स्था-3 / अधि०-अ० पदा० / 2015 / 270 दिनांक 22.7.15 के विपरीत म0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1993 धारा 93 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गयी । प्रकरण विधिवत पंजीबद्व किया प्रतिअपीलार्थी को तलब किया गया एवं अधीनस्थ का अभिलेख तलब किया गया ।

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थिया की नियुक्ति वर्ष 2001 में सं. शिक्षक वर्ग-2 में शा.मा.वि.सेमरी जिला शिवपुरी में विज्ञान संकाय में हुई थी । अपीलार्थिया वर्ष 2008 में लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. के आदेश कमांक / अध्या.संवि / / 13 / 2008 / 999-1000 भोपाल दिनांक 2.8.2008 के द्वारा अध्यापक संवर्ग में संविलयन की अनुमति प्रदान की गयी थी तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना म0 प्र0 के आदेश कमांक / स्था. / अध्या.संवि. / 08 / 347 दिनांक 12.09.2008 जनपद पंचायत पिछोर से जनपद पंचायत गुना में अध्यापक के पद पर पदांकन शा. हाई स्कूल हरिपुर जिला गुना के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया था इस प्रकार अपीलांट दिनांक 12.09.2008 से हाई स्कूल हरिपुर जिला गुना में विज्ञान संकाय में अध्यापक के पद पर पदस्थ होकर विज्ञान विषय के साथ अन्य विषय का भी शिक्षण कार्य पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से कर रही है । जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2015 के द्वारा अपीलार्थिया को हाई स्कूल हरिपुर से नवीन पदांकित शाला माध्यमिक विधालय खटकिया वि.ख.चांचौडा जिला गुना स्थानान्तरित कर पदांकित किया गया है । जिससे दुखी होकर अपील पेश की है। जिला शिक्षा अधिकारी गुना का अपीलाधीन आदेश नियम कानून प्रकिया के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । जिला शिक्षा अधिकारी गुना ने शासन द्वारा बनाये गये नियमों के विपरीत आदेश पारित कर अपीलार्थिया का स्थानान्तरण हाई स्कूल हरिपुर से मा. वि. खटकिया वि.ख. चांचौडा में किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। स्थानान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व अतिशेष शिक्षकों की जो काउन्सिलिंग कराया गया

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

(5)

उसमें अपीलार्थिया ने अपनी असहमति प्रकट की थी किन्तु अपीलार्थिया का स्थानान्तरण उसकी ओर से सहमति दर्शाते हुये नियमों के प्रतिकूल आदेश पारित किया है जो शासन द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के प्रतिकूल होने से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है । अपीलार्थिया की दो पुत्री है जिसमें बडी पुत्री अनन्या की उम्र 8 वर्ष होकर वह काईरट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल गुना में कक्षा 4 में अध्ययनरत है तथा दूसरी पुत्री की उम्र 6 माह है, इन सब परिस्थितियों के विद्यमान रहते हुये भी महिला अध्यापक को गुना से लगभग 60 किमी दूर स्थित शाला में स्थानान्तरित कर पदांकन किया गया है जिससे उसकी दोनों पुत्रियों की देखभाल एवं परवरिश ठीक प्रकार से नही हो पायेगी । क्योंकि अपीलार्थिया के पति प्राईवेट जॉब करते है जो अधिकांशतः बाहर टूर पर रहते है । इन सब परिस्थितियों में अपीलार्थिया का स्थानान्तरण 60 किमी. दूर स्थित शाला में किया गया है, जबकि कई पुरुष अध्यापकों का गुना के समीप शालाओं में स्थानान्तरण किया गया है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । शासन नियमानुसार नवीन पदस्थापना/स्थानान्तरण संकुल केन्द्र पर की जाना चाहिये, यदि संकुल केन्द्र पर रिक्त स्थान न हों तो संबंधित विकास खण्ड स्तर पर की जाना चाहिये, किन्तु संकुल केन्द्र या विकास खण्ड में न कर दूसरी तहसील चाचौडा में अपीलार्थिया की पदस्थापना/स्थानान्तरण की गयी है जो कि नियमों के प्रतिकूल है । अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने इस तथ्य को भी अपने विचार में नही लिया है कि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण संकुल केन्द्र हरिपुर के समीप किसी अन्य शाला में किया जा सकता था, किन्तु इस तथ्य को दृष्टि ओझल कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व शासन नियमानुसार अपीलार्थिया की सहमति भी नही ली गयी है और न ही अपीलार्थिया की पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है । मनमानेपूर्ण तरीके से आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जिला शिक्षा अधिकारी ने अपीलांट को आज दिनांक तक रिलीव नही किया है और न ही उसकी शाला के प्राचार्य ने रिलीव किया है । अपीलार्थिया को जिला शिक्षा अधिकारी ने मौखिक आश्वासन दे रखा था कि अपीलांट का अपीलाधीन स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जावेगा, किन्तु अभी तक निरस्त नही किया गया है । अपीलार्थिया को दिनाक 24.09.15 को ज्ञात हुआ है कि अपीलार्थिया का अपीलाधीन आदेश निरस्त नही हो सकेगा, इस कारण जानकारी दिनांक 24.09.15 के अगले कार्य दिवस दिनांक 26.09.15 को श्रीमान के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है दिनाक 22.07.15 से दिनांक 24.09.15 तक मौखिक आश्वासन मिलने के कारण अपील पेश नही की थी इस कारण अपील पेश किये जाने में विलंब हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है । अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

मैने अपीलांट अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये । अपीलांट अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अपीलांट के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी गुना के द्वारा स्थानान्तरण निरस्त करने के आश्वासन पर एवं रिलीव नही करने से अपील विलंब से पेश की है, विलंब क्षमा योग्य है । अपीलांट द्वारा काउन्सिलिंग में उपस्थित होकर असहमति दी जाने के बावजूद अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है। काउन्सिलिंग के बाद अपीलांट को शाम को बुलाकर यह कह दिया गया कि स्थान रिक्त नही है जबकि इसी बीच पुरुष कर्मचारियों को बुलाकर उनको विकासखण्ड गुना के नजदीकी विधालय दे दिये गये जबकि नियमानुसार महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिये थी। स्थानान्तरण निर्धारित शासन की प्रक्रिया के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की नियुक्ति विज्ञान विषय के वर्ग -2 के स्वीकृत पद पर नियुक्त हुई थी एवं वर्तमान में कार्यरत है । अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

832

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

(6)

मैंने अपीलांट अभिभाषक के तर्को का मनन किया एवं जिला शिक्षा अधिकारी गुना से प्राप्त अभिलेख एवं विज्ञान विषय की पदस्थापना सूची सहित सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट शा0 हाईस्कूल हरीपुर विकासखंड गुना में विज्ञान संकाय विषय की अध्यापक के पद पर पदस्थ थी । म0 प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1-42/2014/20-1 दिनांक 8.9.14 की कंडिका 3. ब अनुसार प्रत्येक माध्यमिक शाला में न्यूनतम 03 अध्यापक ... गणित एवं विज्ञान (गणित विषय सहित विज्ञान) 01 सामाजिक विज्ञान एवं 01 भाषा अन्तर्गत अंग्रेजी विषय का शिक्षक उपलब्ध कराना है । अपीलांट महिला वर्ग की है उसको शाला चयन में प्राथमिकता दी जानी थी, परन्तु महिलाओं को प्राथमिकता न दी जाकर पुरूषों को प्राथमिकता दी गयी है, साथ ही उ. श्रे. शिक्षक जो पुरूष है उनको भी गुना विकासखंड में प्रस्तुत सूची अनुसार पदस्थ किया गया है । अपीलांट काउन्सिलिंग में उपस्थित हुई है एवं अपनी असहमति दी गयी है । अपीलांट को शाम को बुलाकर यह कह दिया गया कि पद रिक्त नहीं है एवं इस बीच पुरूष वर्ग के व्यक्तियों की पद स्थापना विकासखड गुना में कर दी गयी एवं अपीलांट का स्थानान्तर हाईस्कूल हरीपुर विकासखंड गुना से मा0 वि0 खटकिया विकासखंड चांचौड़ा में कर दिया गया । इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी गुना का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार वैधानिक नहीं कहा जा सकता । अतः अपीलांट की अपील समयावधि में मान्य की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के वापिस किया जाता है कि अपीलांट को समक्ष में सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित किया जावे । संबंधित सूचित हो । अधीनस्थ का अभिलेख आदेश प्रति सहित वापिस हो । बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

सत्यप्रतिलिपि

Sd/-

(नियामत मेहताब आलम)

अपर कलेक्टर,

गुना जिला गुना म0 प्र0

Adl. ... Dist. ... M. P

कमांक / प्रवा. अपर कले. / 15 / रि. पा न. 636

दिनांक 22-11-15

279 22/11 प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना म0 प्र0 की ओर उनके पत्र कमांक ... / युकि / अपर कले अपील प्रक. 2015 / 725 दिनांक 8.10.15 से भेजा गया अभिलेख सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रवाचक

अपर कलेक्टर

अवर सचिव अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल